



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43222 वर्ष 2025

शहबाज़

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : ब्रह्म कुमार तिवारी
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रह्मा कुमार तिवारी तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता श्री रामेन्द्र पाल सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत अर्जी, आवेदक शहबाज़ की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि उसे, पुलिस थाना खतौली, जनपद-मुज़फ़्फ़रनगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 180/2025 (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत) में, विचारण की लंबित अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के चलते इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके आपराधिक इतिहास से संबंधित ग्यारह मामलों के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक न तो किसी गिरोह का सदस्य है, न ही उसका कोई नेता अथवा आयोजक है; और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में कोई दुष्प्रेरण अथवा सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 09.07.2025 से ही कारागार में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा। साथ ही यह भी इंगित किया गया है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय में मुकदमों की भारी लंबितता को देखते हुए, इस मामले के विचारण की शीघ्र समाप्ति की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है, जो **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648 और अभिमन्यु आदि बनाम केरल राज्य, 2025 आईएनएससी 1136** के मामलों में दिए गए थे। इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होना, अपने आप में, ज़मानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए मामलों के अलावा, आवेदक के खिलाफ किसी अन्य मामले का उल्लेख नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मैं इस मामले को ज़मानत के लिए उपयुक्त पाता हूँ। अतः, वर्तमान ज़मानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक, शबाज़ को, ऊपर बताए गए केस अपराध संख्या में, ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही रकम का एक निजी मुचलका और दो भरोसेमंद ज़मानतदार पेश करने होंगे। ये शर्तें लागू होंगी:

- (i) आवेदक, केस के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से रोका जा सके, या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (ii) आवेदक, अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक, विचारण न्यायालय के सामने उन तारीखों पर खुद मौजूद रहेगा जो इन कामों के लिए तय की गई हैं: (i) केस की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना, और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।
- (iv) आवेदक एक लिखित वादा देगा कि वह सबूत पेश करने के लिए तय की गई तारीखों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में मौजूद हों, तो केस को आगे बढ़ाने की कोई मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक, विचारण न्यायालय के सामने हर तय तारीख पर, या तो खुद या अपने वकील के ज़रिए मौजूद रहेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, उसे ज़मानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात, केवल इस ज़मानत अर्ज़ी पर फैसला करने के उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से केस के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से आज़ाद होगा।

16 जनवरी, 2026

दीपक

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।